राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं

क्रमांकः एफ.7(1).Training/ ICDS /2015/ 43512-545 जयपुर, दिनांक 21-3-18

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त ।

विषयः— कार्यकर्ताओं के कार्य प्रशिक्षण, सहायिकाओं के ओरिएन्टेशन प्रशिक्षण, व पुनश्चर्या प्रशिक्षण से वंचित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं, पर्यवेक्षकों की संख्या की सूचना बाबत्।

प्रसगः— विभागीय पत्र क्रमांक 129993—30025 दिनांक 01.09.2017, 190975—1007 दिनांक 07.12.2017 एवं 19968—20000 दिनांक 02.02.2018 के क्रम में।

प्रसंगानुसार लेख है कि आप अपने अधीनस्थ सभी बाल विकास परियोजनाओं से कार्य प्रशिक्षण हेतु, नव चयनित कार्यकर्ताओं की व ओरिएन्टेशन से वंचित सहायिकाओं की सही संख्या एवं पुनश्चर्या प्रशिक्षण से वंचित मानदेय कर्मियों व पर्यवेक्षकों की नवीनतम सूचना निदेशालय को निम्न प्रारूप में पत्र प्राप्ति के 7 दिवस में प्रेषित करें। वांछित सूचना अविलम्ब उपलब्ध करावें ।

क्र.सं.	कार्य प्रशिक्षण हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या	ओरिएन्टेशन प्रशिक्षण से वंचित सहायिकाओं की संख्या	पुनश्चर्या प्रशिक्षण से वंचित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की संख्या	पुनश्चर्या प्रशिक्षण से वंचित आंगनबाड़ी सहायिकाओं की संख्या	पुनश्चर्या प्रशिक्षण से वंचित पर्यवेक्षको की संख्या
1.	2.	3.	4.	5.	6.

आपके द्वारा नवीनतम सूचना उपलब्ध कराने के अभाव में राजपोषण से प्राप्त सूचना के आधार पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण सत्र आवंटित किये जाते हैं। अतः आप पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार राजपोषण पर मानदेय कर्मियों की प्रशिक्षण सूचना अपडेट करायें। यदि आवंटित प्रशिक्षण सत्रों में उपयुक्त आवंटित संख्यानुसार प्रशिक्षणार्थी नहीं पंहुचती है एवं इस कारण ऑडिट आक्षेप बनता है तो समस्त उत्तर दायित्व सम्बन्धित कर्मचारी व अधिकारियों का होगा।

उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ.7(1).Training/ ICDS /2015/ 43546-851 जयपुर, दिनांकः 21-3-18

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, को भेजकर लेख है कि चाही गई सूचना समय अनुसार भिजवावें ।
2. उपनिदेशक/एसीपी, कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर।